युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, एसएलबीसी का संयोजक, पश्चिम बंगाल

ई-मेल: slbc.westbengal@unitedbank.co.in
दूरभाष: 033-2262-7365, 033-2231-1716

11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

संदर्भ/Ref : SLBC-WB/Minutes(148)/ 1108 /2020

दिनांक : 13 मार्च,2020

विषय: दिनांक 11-03-2020 को आयोजित 148वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत ।

डॉ. अमित मित्रा, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय वित्त मंत्री और श्री अशोक कुमार प्रधान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की संयुक्त अध्यक्षता में दिनांक 11-03-2020 को अपराह्न 12:00 बजे, ललित ग्रेट ईस्टर्न, कोलकाता में दिसंबर, **2019** तिमाही के लिए निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई । सरकारी विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यपालकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों और गणमान्य व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

एसएलबीसी फोरम में अपनी पहली भागीदारी करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री सुशोभन सिन्हा को सम्मानित करने के उपरांत, माननीय वित्त मंत्री द्वारा बैंकों के निष्पादन की समीक्षा के साथ बैठक शुरू हुई। मंचस्थ प्राधिकारियों के अवोलकन और बैंकर्स एवं विभागीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया से संबंधित क्षेत्रों/ मापदंडों में उभरे कार्य बिंदुओं को नीचे संलग्न किया गया है।

कृषि अग्रिम: रु. 55000 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के **62%** की उपलब्धि के साथ दिसंबर, 2019 तक रू.**34127** करोड़ की अभिनियोजन के संबंध में, यह विचार किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था । लक्ष्य को वास्तविक आधार पर एसएलबीसी द्वारा निर्धारित किया गया है और सकारात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए बैंकों द्वारा इसे अटल माना जाना चाहिए। श्री एम वी राव, एसीएस (सहयोग और पीआर) ने बताया कि डब्लूबीएससीबीएल ने पहले ही रू. **3845** करोड़ का संवितरण कर दिया है और वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है। संयोजक ने कहा कि जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान हो रही बोड़ो धान, आलू और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती और बैंकरों की सक्रियता के साथ, साल के अंतिम चरण में सभी लंबित प्रस्तावों को निपटाने संबंधी निर्धारित लक्ष्य संभव प्रतीत होते हैं। उन्होंने आगे पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक के निष्पादन की सराहना की और कहा कि राज्य की सहकारी संरचना एसएलबीसी की ताकत है।

(कार्य बिंदु **1:** सदस्य बैंक)

किसान क्रेडिट कार्ड: केसीसी के संबंध में श्री एच के द्विवेदी, एसीएस (वित्त) एवं श्री एस के गुप्ता ने विचार दिए कि किसानों के नामांकन में पीएसयू बैंकों का प्रदर्शन खराब रहा है, जिसके परिणामस्वरूप **35.00** लाख के वार्षिक लक्ष्य मुकाबले दिसंबर, 19 तक **17.70** लाख किसानों के नामांकन हुए है । एसएलबीसी के संयोजक ने बताया कि **29-02-2020** तक **21.12** लाख नामांकन के साथ स्थिति में सुधार हुआ है और चालू वर्ष में केसीसी में **4.97** लाख नए किसानों को भी शामिल किया गया है। संयोजक ने कहा कि राज्य के तटीय जिलो में दो चक्रवाती तूफान फनी एवं बुलबुल के धक्के के परिणामस्वरूप मौजूदा ऋणों के नवीकरण / रोलओवर के निम्न स्तर, साथ ही पशुपालन एवं मत्स्य के तहत संतृप्ति के निम्न स्तर में कमी का प्रमुख कारण है । श्री ए.के. प्रधान ने कहा है की वर्ष के अंत तक प्रमुख बैंकों द्वारा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त कर ली जाएगी ।

(कार्य बिंदु **2:** एसएलबीसी, सदस्य बैंक, एआरडी विभाग)

एसएलबीसी के संयोजक को सलाह दी गई कि वे केसीसी में कमी के संबंध में प्रमुख पीएसयू बैंकों और आरआरबी की बैठक तुरंत बुलाएँ और मार्च, **2020** तक प्रत्याशित स्थिति और इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदम से प्राधिकारियों को अवगत कराएँ ।

(कार्य बिंदु **3:** एसएलबीसी और सदस्य बैंक)

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया SLBC WEST BENGAL UNITED BANK OF INDIA

केनरा बैंक द्वारा यह सूचित किया गया है कि यदि कृषि विभाग द्वारा बंगला शस्य बीमा योजना डेटा बेस से गैर-ऋणी किसानों के विवरण को साझा करने के लिए एसएलबीसी कृषि उप समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जाता है तो इस प्रक्रिया को पहले पूरा किया जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा यह बताया गया है कि डेटा संकलन प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसे बैंकों के साथ तुरंत साझा किया जाएगा । माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि विभाग की सहायता से गैर-ऋणी किसानों को नामांकित करने एवं तदनुसार संतृप्ति प्राप्त करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया।

(कार्य बिंदु 4: कृषि विभाग, सदस्य बैंक और अग्रणी जिला प्रबंधक)

फसल बीमा: श्री गुप्ता द्वारा यह बताया गया कि खरीफ, 2018 और रबी, 2018-19 के तहत नुकसान पहुँचे फसलों की क्षति के लिए बीमा दावों के निपटान थोक में बीमा कंपनियों द्वारा किए गए हैं। उन्होंने बीमा कंपनियों को सलाह दी कि वे लंबित राशि को बिना किसी चूक के 31-03-2020 तक निपटाएं।

(कार्य बिंदु 5: बीमा कंपनियां)

यह भी बताया गया कि बीमा कंपनियों से प्राप्त दावों के लिए विभिन्न बैंकों की लगभग 972 बैंक शाखाओं ने अभी तक उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। सदस्य बैंकों द्वारा उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का निर्णय उप समिति की बैठक में पहले ही ले लिया गया था ताकि 31-03-2020 तक मार्च, 2019 तक के दावों को शामिल किया जाए। एसबीआई, युबीआई, इलाहाबाद बैंक, बीओआई और अन्य ने 10 से 14 दिनों के भीतर अनुपालन करने का आश्वासन दिया।

(कार्य बिंदु 6: सदस्य बैंक)

मत्स्य अग्रिम: मत्स्य विभाग द्वारा सूचित किया गया था कि जिला कार्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और लगभग 3000 केसीसी ऋण प्रस्ताव को बैंक शाखाओं से प्रायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है । विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में 45000 केसीसी ऋण के लक्ष्य की भी परिकल्पना की है । एसएलबीसी सदस्य बैंकों से निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने और जिलों के लिए तैयार किए गए वित्त के पैमाने को संदर्भ में लेने करने का भी अनुरोध करता है ।

डॉ. मित्रा द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि 927 मत्स्य सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से औसतन 100 या अधिक सदस्यों वाली 600 से अधिक समितियां सक्रिय रूप से मत्स्य पालन से जुड़ी हैं । डॉ. मित्रा ने मत्स्य विभाग को क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से 1ले चरण में केसीसी ऋणों हेतु इस समूह को लक्ष्य में रखने के लिए एसएलबीसी / सदस्य बैंकों के साथ इन समितियो के सदस्यों के विवरणों की जानकारी को साझा करने की सलाह दी।

(कार्य बिंदु 7: मत्स्य विभाग और एसएलबीसी / सदस्य बैंक)

एसवीएसकेपी योजना: एसएचजी एवं एसई विभाग के प्रधान सचिव सुश्री आर सेन ने सूचित किया कि एसवीएसकेपी पोर्टल पहले से ही कार्यशील है, अधिकांश राज्य और मंडल/ क्षेत्रीय स्तर के उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकरण लंबित हैं। इसके अलावा, एसवीएसकेपी ऋणों में आर्थिक सहायता जारी न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । बैंकों को मंजूरी / संवितरण प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करना है।

(कार्य बिंदु 8: बीमा कंपनियां)

एसएचजी एवं एसई विभाग के सचिव श्री डी सरकार ने बताया कि डब्ल्यूबीएसएसपी योजना के तहत कुछ बड़े बैंक द्वारा 5-7 तिमाहियों तक के लिए ब्याज सहायता के दावों को दर्ज करवाना बाकी है । उन्होंने बैंकों से एनयूएलएम कार्यक्रम के तहत लंबित प्रस्तावों के लिए निपटान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध किया।

(कार्य बिंदु 9: सदस्य बैंक)

एनआरएलएम - एसएचजी अग्रिम: डब्ल्यूबीएसएनआरएलएम के सचिव और सीईओ, सुश्री सी डी लामा ने कहा है कि 13679 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्काल आधार पर मंजूरी और संवितरण के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है। यह पाया गया है कि फरवरी, 2020 तक लगभग 60% उपलब्धि रही । सुश्री लामा ने युबीआई, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि जैसे बड़े बैंकों में स्वयं सहायता समूहों के लघु आकार के ऋणों पर सरोकार व्यक्त किया और सहभागिता करने वाले बैंकों से अनुरोध किया कि वे पूर्ण मंजूर राशि को आहरित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों को अनुमति दें / प्रोत्साहित करें।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया SLBC WEST BENGAL

बैंक ऑफ इंडिया को यह भी सलाह दी गई थी कि ,वह एसएचजी को, विशेष रूप से उत्तर बंगाल क्षेत्र में, केवल सावधि ऋण मंजूर करने संबंधी मामलों की पड़ताल करें। यह सलाह दी गई कि बैंकों को बिना विचलन के एनआरएलएम संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। सदन ने कहा कि सावधि ऋण केवल परियोजना आधारित आय सृजन गतिविधियों के लिए लागू हो सकते हैं और प्रारंभिक अवधि में एसएचजी को सामान्य तौर पर कार्यशील पूंजी हेतु अग्रिम की अनुमति है।

(कार्यबिंदु 10. सदस्य बैंक)

एमएसएमई अग्रिम: डॉ. मित्रा ने इस महत्वपूर्ण रोजगार सृजन क्षेत्र में बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और वर्ष के दौरान रु.75000 करोड़ संवितरण का लक्ष्य रखते हुए बैंकों को लक्ष्य पार करने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. मित्रा ने बैंकों और एमएसएमई विभाग को यह भी सलाह दी कि वे अंगीकृत एमएसएमई समूह / इंडस्ट्रियल पार्कों में उद्यमियों की बैठक पर अधिक ध्यान दें और समूह बैठक में प्राप्त ऋण प्रस्तावों का निपटान समयबद्ध तरीके से करें।

(कार्यबिंदु 11. एमएसएमई विभाग, एलडीएम और सदस्य बैंक)

वार्षिक ऋण योजना: स्टेट फोकस पेपर, 2020-21 में नाबार्ड द्वारा तैयार संभावित लिंक्ड योजना पर विचार-विमर्श करते हुए श्री ए के प्रधान ने कहा कि कृषि के लिए 40% लक्ष्य एक बहुत ही उच्च वार्षिक विकास दर की परिकल्पना है, जिसे बनाए नहीं रखा जा सकता। बहरहाल बैंकों को सलाह दी गई है, कि वे इसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। डॉ. मित्रा ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बहुत अच्छी वृद्धि दर के साथ बारंबार एमएसएमई लक्ष्य प्राप्त करने के बावजूद एमएसएमई लक्ष्य में रू. 81089 करोड़ मात्र की मामूली वृद्धि दर्ज हुई। उन्होंने बैंकों को उच्च लक्ष्य रखने की सलाह दी और अंत में एमएसएमई के लिए रू.90000 करोड़ के लक्ष्य को अंगीकार किया गया था ।एलडीएम को अपनी संबंधित, डीसीसी बैठकें, मार्च, 2020 तक आयोजित करनी है, जिससे राज्य के एसीपी के अंतिम रूप की तैयारी और इसे अंगीकार करने हेतु प्रखंड और जिलों की ऋण योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

(कार्यबिंदु 12. एसएलबीसी, एलडीएम और सदस्य बैंक)

विविध (एसएलबीसी की बैठक में उपस्थिति) : डॉ. मित्रा ने सलाह दी कि पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित विभागों को सलाह दी कि अब से एसएलबीसी की बैठक में सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा उचित प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए।

(कार्यबिंदु 13. एसएलबीसी, एलडीएम और सदस्य बैंक)

सदस्यों के समक्ष चर्चा के लिए निम्नलिखित कार्यसूची मदों को भी रखा गया था।

(i) सीडी अनुपात और 40% से कम के सीडी अनुपात के साथ जिलों की समीक्षा ।
(ii) एमएसएमई क्लस्टर्स और क्रेडिट लिंकेज को अंगीकार करना।
(iii) मुद्रा, एसयूआई, पीएमईजीपी और एसवीएसकेपी ऋणों की समीक्षा।
(iv) शिक्षा और आवास ऋण में प्रगति।
(v) संशोधित एलबीएस के अनुसार डाटा प्रबंधन प्रणाली में प्रगति।
(vi) डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और इसे गहन करना।
(vii) सरफेसी, पीडीआर मामलों की वसूली की स्थिति ।
(viii) एफएलसी और आरसेटी की समीक्षा।
(ix) यूआरसी / चाय बागान क्षेत्रों में बीओ के उद्घाटन की समीक्षा।
(x) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज की समीक्षा आदि।

बैठक अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

महाप्रबंधक
प्रा.प्रा.क्षेत्र-कृषि एवं एसएलबीसी के संयोजक, पश्चिम बंगाल

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया SLBC WEST BENGAL UNITED BANK OF INDIA